सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्याः 81/2017

जगमोहन पुत्रश्री दामोदर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर

............वादी

बनाम

1–विद्याराम 2–संतोष 3–राजेश पुत्रगण रामविलास जाति ब्राहमण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ 4–केदार पुत्र ज्योतिप्रसाद जाति ब्रहमण निवासी सैपऊ जिला धौलपुर
5–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रवन्धक
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते ,बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188

उपस्थिति – 1–श्री बीनू भार्गव एडवोकेट........ (वादी)
2–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ....(प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3)
3–श्री हजरत खॉन एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या 4)

निर्णय दिनांक 09.10..2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 20.09.2017 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1861, 1863, 1874, 1877, 1878, 1884, 2191, 2192, 2198, 2199, 2200 स्थित वाके ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 21.08.2019 को प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/709 दिनांक 04.10.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी स्थित ग्राम सैपऊ नं0 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–विद्याराम, संतोषकुमार, राजेशकुमार पिसरान रामविलास हिस्सा 159/213 व केदार पुत्रश्री ज्योतिप्रसाद हिस्सा 54/213 कौम ब्राहमण निवासी सैपऊ खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	1861	1–13	8.25
2.	1863	0–08	2.00
3.	1874	1–16	9.00
4.	2191	1–04	9.60
5.	2192	1–01	5.25
6.	2198	1–15	8.75
7.	2199	0–17	4.25
8	2200	0–18	4.50
9.	1884/2	1–01	5.25
योग	9	10–13	56.85

2–जगमोहन पुत्रश्री दामोदर प्रसाद कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	1877	1–13	8.25
2.	1878	2–04	11.00
3.	1884/1	1–09	7.25
योग	3	5–06	26.50

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)

उपखण्ड अधिकारी

सैपऊ

50-

27 SEP 2019

नॉन ज्यूडिशियल

डिकी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या: 81 / 2017

जगमोहन पुत्रश्री दामोदर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर
.............वादी

बनाम

1–विद्याराम 2–संतोष 3–राजेश पुत्रगण रामविलास जाति ब्राहमण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ 4–केदार पुत्र ज्योतिप्रसाद जाति ब्रहमण निवासी सैपऊ जिला धौलपुर
5–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रवन्धक
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते ,बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री योगशकुमार शर्मा व श्री हजरत खॉ एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–
1–विद्याराम, संतोषकुमार, राजेशकुमार पिसरान रामविलास हिस्सा 159 / 213 व केदार पुत्रश्री ज्योतिप्रसाद हिस्सा 54 / 213 कौम ब्राहमण निवासी सैपऊ खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

50-

27 SEP 2019

नॉन ज्यूडिशियल

SPECIAL ADHESIVE

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	1861	1–13	8.25
2.	1863	0–08	2.00
3.	1874	1–16	9.00
4.	2191	1–04	9.60
5.	2192	1–01	5.25
6.	2198	1–15	8.75
7.	2199	0–17	4.25
8	2200	0–18	4.50
9.	1884 / 2	1–01	5.25
योग	9	10–13	56.85

2–जगमोहन पुत्रश्री दामोदर प्रसाद कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	1877	1–13	8.25
2.	1878	2–04	11.00
3.	1884 / 1	1–09	7.25
योग	3	5–06	26.50

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.10.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ